राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 25)

[17 अगस्त, 2018]

सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाते हुए चुनी हुई खेलकूद विद्या शाखाओं के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबंधन और खेलकूद कोचिंग के क्षेत्रों में खेलकूद शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए मणिपुर राज्य में एक राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय, जो अपने प्रकार का प्रथम विशिष्ट विश्वविद्यालय है, की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) इसे 31 मई, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या और गतिविधि परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या और गतिविधि परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारिवृंद" से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाएं;

(ग) "खेलकूद अध्ययन बोर्ड' से विश्वविद्यालय के किसी विभाग का खेलकूद अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;

(ङ) "महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या चलाए जाने वाला या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या कोई अन्य शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है;

(च) "सभा" से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(छ) "विभाग" से अध्ययन विभाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्ययन केन्द्र है;

(ज) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद आते हैं;

(झ) "कार्य परिषद्" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(ञ) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(ट) "निधि" से धारा 30 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय निधि अभिप्रेत है;

(ठ) "छात्र निवास" से विश्वविद्यालय या दूरस्थ कैंपस या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी महाविद्यालय या संस्था के छात्रों के लिए निवास या सामूहिक जीवन की इकाई अभिप्रेत है;

(ड) "विभागाध्यक्ष" से विश्वविद्यालय के किसी शिक्षण विभाग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ढ) "संस्था" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त कोई शिक्षण संस्था, जो महाविद्यालय नहीं है, अभिप्रेत है;

(ण) "दूरस्थ कैंपस" से विश्वविद्यालय का ऐसा कैंपस अभिप्रेत है, जो उसके द्वारा भारत में या भारत के बाहर स्थापित किया जाए;

(त) "प्राचार्य" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या किसी संस्था का प्रधान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत जहां कोई प्राचार्य नहीं है, वह व्यक्ति, जो प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से तत्समय नियुक्त किया गया है और प्राचार्य या कार्यवाहक प्राचार्य की अनुपस्थिति में इस प्रकार सम्यक् रूप से नियुक्त उप-प्राचार्य अभिप्रेत है;

(थ) "क्षेत्रीय केन्द्र" से किसी क्षेत्र में अध्ययन केन्द्रों के कार्य के समन्वय और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जो कार्य परिषद् द्वारा ऐसे केन्द्रों को प्रदत्त किए जाएं, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या चलाए जाने वाला कोई केन्द्र अभिप्रेत है;

(द) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए तत्समय प्रवृत्त विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) "विद्यापीठ" से विश्वविद्यालय में अध्यापन का विद्यापीठ अभिप्रेत है;

(न) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(प) "राज्य" के अंतर्गत कोई संघ राज्यक्षेत्र भी है;

(फ) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" से विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त क्रमश: परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं;

(ब) "अध्ययन केंद्र" से सलाह, परामर्श, प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए या छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, चलाए जाने वाला या मान्यताप्राप्त कोई केंद्र अभिप्रेत है;

(भ) "विश्वविद्यालय के शिक्षक" से आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो विश्वविद्यालय या दूरस्थ कैंपस में विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही किसी महाविद्यालय या संस्था या क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण प्रदान करने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किए जाएं और जिन्हें अध्यादेश द्वारा शिक्षक के रूप में अभिहित किया जाता है;

(म) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित और निगमित राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(य) "कुलपति" से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है ।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना—(1) "राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय मणिपुर राज्य में होगा और वह भारत में ऐसे अन्य स्थानों पर दूरस्थ कैंपस, महाविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र स्थापित कर सकेगा और चला सकेगा, जो वह उचित समझे:

परंतु विश्वविद्यालय, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत के बाहर भी दूरस्थ कैंपस और अध्ययन केंद्र स्थापित कर सकेगा ।

(3) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और वे सभी व्यक्ति, जो आगे चलकर ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते रहें, "राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय" के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे ।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और इसकी मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य —विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे—

(i) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के संस्थान के रूप में विकसित होना;

(ii) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा खेलकूद की उच्च प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करके, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान में अनुसंधान और विकास तथा ज्ञान के प्रसार की व्यवस्था करना;

(iii) खेलकूद जिसके अंतर्गत पारंपरिक और जनजातीय खेलकूद और खेल भी हैं, की अभिवृद्धि के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना;

(iv) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में कलात्मक शैक्षणिक प्रशिक्षण देने और अनुसंधान तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता के केंद्र और संस्थाएं स्थापित करना;

(v) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान में अन्य संस्थाओं को वृत्तिक और शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करना;

(vi) शारीरिक शिक्षा, खेलकूद विज्ञान, खेलकूद चिकित्सा, खेलकूद प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक मार्गदर्शन और स्थानन सेवाएं प्रदान करना;

(vii) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर ज्ञान, कौशल और सामर्थ्य के विकास के लिए क्षमताएं उत्पन्न करना;

(viii) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन से संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक की अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए क्षमताएं उत्पन्न करना;

(ix) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में उच्च अर्हता प्राप्त वृत्तिकों को तैयार करना;

(x) सभी खेलकूद और खेलों के सर्वोत्कृष्ट और अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्टता और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान में उत्तरोत्तर नवीनता तथा अनुसंधान को कार्यान्वित, पृष्ठांकित और प्रचारित करने के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना;

(xi) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में ज्ञान और विकास के लिए प्रमुख संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना;

(xii) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग उपलब्ध कराना;

(xiii) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के प्रयोजन के लिए खेलकूद अकादमियों, विद्यापीठों, महाविद्यालयों, खेलकूद और मनोरंजन क्लबों, खेलकूद संगमों और अंतरराष्ट्रीय परिसंघों के साथ निकट संबंध स्थापित करना;

(xiv) प्रतिभाशाली एथलीटों को प्रशिक्षित करना, जिससे उनकी अंतराराष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्कृष्ट एथलीटों के रूप में उभरने में सहायता की जा सके;

(xv) भारत को खेलकूद शक्ति बनाना;

(xvi) ऐसे अन्य उद्देश्य, जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य—(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(i) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञानों में, जिसके अंतर्गत खेलकूद प्रौद्योगिकी भी है, अध्ययन पाठ्यक्रमों की योजना बनाना, उनको डिजाइन, विकसित और विहित करना तथा समुचित शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना तथा विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

(ii) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करना और परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदत्त करना और अच्छे और पर्याप्त कारण से किसी ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, डिग्री या अन्य विद्या संबंधी उपाधियों को वापस लेना;

(iii) विश्वविद्यालय के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय खेलकूद परिसंघों, राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघों, भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ के समन्वय से खेल प्रतियोगिताओं और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर प्रदान करना;

(iv) विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक संगठनों या निकायों से संपर्क या उनकी सदस्यता रखना;

(v) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे दूरस्थ कैंपस, क्षेत्रीय केंद्र, विशेषीकृत प्रयोगशालाएं या अनुसंधान के लिए अन्य इकाइयां, शिक्षण और प्रशिक्षण स्थापित करना और चलाना, जो विश्वविद्यालय की राय में इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं;

(vi) परिनियमों द्वारा अधिकथित रीति में अध्ययन केंद्र स्थापित करना, चलाना और उनको मान्यता देना;

(vii) महाविद्यालय, संस्थाएं और छात्र निवास स्थापित करना और चलाना;

(viii) परिनियमों द्वारा विहित रीति से सम्मानिक डिग्रियां और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना;

(ix) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना तथा ऐसे प्राचार्य पदों, आचार्य पदों, सह आचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(x) किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्था, जिसके अंतर्गत देश से बाहर स्थित विश्वविद्यालय या संस्था भी हैं, में कार्य करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में करना;

(xi) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों को सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(xii) उच्चतर शिक्षा के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था, जिसके अंतर्गत देश से बाहर स्थित अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था भी है, के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(xiii) ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना;

(xiv) शैक्षणिक मानकों की वृद्धि तथा अनुसंधान के लिए अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(xv) बाहरी अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तारी सेवाओं को आयोजित करना और उसका जिम्मा लेना;

(xvi) अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए उपबंध करना तथा उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों के साथ ऐसे ठहराव करना, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(xvii) शिक्षकों, मूल्यांककों, अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद और छात्रों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कर्मशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;

(xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सकें;

(xix) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना जिसके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति भी हो सकेगी;

(xx) फीसों और अन्य प्रभारों के संदाय की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xxi) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xxii) सभी प्रवर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिकथित करना, जिसके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है;

(xxiii) छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियम करना और उसका पालन कराना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

(xxiv) कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना;

(xxv) उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना;

(xxvi) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(xxvii) शारीरिक शिक्षा, खेलकूद विज्ञानों, खेलकूद चिकित्सा, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबंध के क्षेत्रों में और अन्य संबंधित क्षेत्रों में नए प्रयोग करना और नई पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकीयों की अभिवृद्धि करना;

(xxviii) ऐसी किसी भूमि या भवन या खेलकूद प्रक्षेत्र या खेलकूद अवसंरचना और वैज्ञानिक खेलकूद अनुसंधान उपस्कर या इनडोर स्टेडियम या संकर्म, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हो, का ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक और उचित समझे, क्रय करना या उन्हें पट्टे पर लेना तथा ऐसे किसी भवन या संकर्म का सन्निर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना और उसका रख-रखाव करना;

(xxix) किसी नए सहबद्ध पाठ्यक्रम या अनुसंधान कार्यक्रम या डिप्लोमा या प्रशिक्षण कार्यक्रम को आरंभ तथा किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण कार्यक्रम को बंद करना;

(xxx) विश्वविद्यालय की निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान करना और समय-समय पर ऐसी रीति में जो वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, किसी विनिधान को स्थानांतरित करना;

(xxxi) विश्वविद्यालय से संबंधित या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए अर्जित की जाने वाली जंगम या स्थावर संपत्ति की बाबत, जिसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियां भी हैं, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा लेकर अंतरणों, बंधकों, पट्टों, अनुज्ञप्तियों, करारों और अन्य हस्तांतरणों के संबंध में हस्तांतरण पत्र निष्पादित करना;

(xxxii) खेलकूद से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार और अन्य राष्ट्रीय संगठनों, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघों के तकनीकी सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करना;

(xxxiii) विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय खिलाडियों को प्रशिक्षण, कोचिंग और अन्य सहायता प्रदान करना;

(xxxiv) खेलो इंडिया स्कीम या नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च एंड आइडेंटीफिकेशन स्कीम के अधीन उपबंधित कार्य विधि और मानकों को प्रभावी बनाना;

(xxxv) परिनियमों द्वारा अधिकथित रीति में किसी महाविद्यालय या किसी संस्था को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(xxxvi) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं, भारत में या भारत के बाहर किसी भी महाविद्यालय या संस्था को अपने विशेषाधिकार प्रदान करना:

परंतु किसी भी महाविद्यालय या संस्था को केंन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय ऐसे विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे;

(xxxvii) शैक्षणिक और प्रशिक्षण सामग्रियों की निर्मितियों की व्यवस्था करना, जिसके अंतर्गत फिल्म, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट और अन्य साफ्टवेयर भी है;

(xxxviii) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने के लिए व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना; और

(xxxix) ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें करना जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

(2) विश्वविद्यालय की, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण भारत में और भारत के बाहर दूरस्थ कैंपसों और अध्ययन केंद्रों पर, अधिकारिता होगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय का, शिक्षण और अनुसंधान और प्रशिक्षण के अखिल भारतीय स्वरूप और उच्च मानक रखने का, प्रयास होगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे अन्य उपायों में, जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, विशिष्टतया निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:—

(i) छात्रों के प्रवेश और संकाय की भर्ती, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित समुचित प्रक्रियाओं के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर किए जाएंगे;

(ii) विदेशी छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में प्रवेश, भारत सरकार की नीति और स्कीम तथा राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित कार्य विधि के अनुसार दिया जाएगा;

(iii) संवहनीय पेंशन स्कीम, यदि कोई हो, के फायदे तथा ज्येष्ठता के संरक्षण सहित संकाय की अंतर-विश्वविद्यालय गतिशीलता को प्रोत्साहित किया जाएगा;

(iv) सेमेस्टर पद्धति, निरंतर मूल्यांकन और विकल्प आधारित ख्याति पद्धति को प्रविष्ट किया जाएगा और विश्वविद्यालय ख्याति अंतरण तथा संयुक्त डिग्री कार्यक्रम के लिए अन्य विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ करार करेगा;

(v) आवधिक पुनर्विलोकन और पुनर्संरचना के लिए उपबंध सहित अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ करार करेगा;

(vi) विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक क्रियाकलापों में, जिसके अंतर्गत शिक्षकों का मूल्यांकन भी है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा;

(vii) राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् या राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन अभिप्राप्त किया जाएगा; और

(viii) प्रभावी प्रबंध सूचना सहित ई-गवर्नेंस को पुर:स्थापित किया जाएगा ।

6. विश्वविद्यालय का सभी जातियों, पंथों, मूलवंशों या वर्गों के लिए खुला होना—विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में छात्र के रूप प्रवेश पाने या विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति का हकदार बनाने या उसमें

कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश लेने या वहां का स्नातक होने या उसके किसी अन्य विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानदंड को अपनाएं या उन पर अधिरोपित करें:

परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय की महिलाओं, दिव्यांगजनों या समाज के दुर्बल वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़ें वर्ग के नागरिकों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी:

परंतु यह और कि ऐसा कोई विशेष उपबंध अधिवास के आधार पर नहीं किया जाएगा ।

7. केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन किया जाना—(1) केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय के, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा संचालित दूरस्थ कैंपस, महाविद्यालय, संस्थाएं, क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र भी हैं, कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी और उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार, उस पर कुलपति के माध्यम से कार्य परिषद् का विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगी और ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह रिपोर्ट में चर्चित विषयों में से किसी के बारे में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसी कार्रवाई का पालन करेगा और ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, खेलकूद प्रक्षेत्रों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी दूरस्थ कैंपस या महाविद्यालय या संस्था और क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं, दिए गए शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं या क्षेत्रीय केंद्रों या अध्ययन केंद्रों के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में किए जाने वाले निरीक्षण या जांच को करवाने की अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगी और विश्वविद्यालय को, केन्द्रीय सरकार को ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ऐसा निरीक्षण या जांच करवा सकेगी, जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है ।

(5) जहां, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है, वहां विश्वविद्यालय, एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा ।

(6) केंद्रीय सरकार, यदि विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए गए किसी दूरस्थ कैंपस या महाविद्यालय या संस्था या क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र की बाबत निरीक्षण या जांच की जाती है, तो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम और उस पर की जाने वाली कार्रवाई की बाबत ऐसे विचारों और सलाह सहित, जो केन्द्रीय सरकार प्रस्थापित करे, कुलपति को लिख सकेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा संबोधन किए जाने की प्राप्ति पर कुलपति, केंद्रीय सरकार के विचारों और उस पर की जाने वाली कार्रवाई पर ऐसी सलाह, जो केन्द्रीय सरकार प्रस्थापित करे, को कार्य परिषद् को संसूचित करेगा ।

(7) कार्य परिषद्, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों पर करने के लिए वह प्रस्थापना करती है या उसके द्वारा की गई है, कुलपति के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को संसूचित करेगी ।

(8) जहां कार्य परिषद, युक्तियुक्त समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करती है, वहां केन्द्रीय सरकार कार्य परिषद् द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह उचित समझे और कार्य परिषद् ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

(9) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को निष्प्रभाव कर सकेगी, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों के संगत नहीं हो:

परंतु ऐसा कोई आदेश करने से पहले वह कुलपति को यह कारण बताने के लिए कहेगी कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाए और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगी ।

(10) केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालय के कार्यों के संबंध में ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

8. विश्वविद्यालय के अधिकारी—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष;

(घ) कुलसचिव;

(ङ) वित्त अधिकारी;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) पुस्कालयाध्यक्ष; और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

9. कुलाधिपति—(1) कुलाधिपति की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलाधिपति, अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और यदि वह उपस्थित है, तो डिग्रियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों और अन्य औपचारिक समारोहों तथा सभा के अधिवेशनों में पीठासीन होगा।

10. कुलपति—(1) कुलपति की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और उसके अगले अधिवेशन में अपने द्वारा ऐसे मामले में की गई कार्रवाई से उस प्राधिकरण को अवगत कराएगा:

परंतु यदि संबंधित प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह ऐसा मामला केंद्रीय सरकार को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु यह और कि विश्वविद्यालय में सेवारत ऐसे व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन, कार्य परिषद् को करे और तब कार्य परिषद्, कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है या किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकरण से अपने विनिश्चय को ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकरण उस विनिश्चय को पूर्णत: या भागत: पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

11. संकायाध्यक्ष—प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

12. कुलसचिव—(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

13. वित्त अधिकारी—वित्त अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

14. परीक्षा नियंत्रक—परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

15. पुस्तकालयाध्यक्ष—पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

16. अन्य अधिकारी—विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कर्तव्य, परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:—

(क) सभा;

(ख) कार्य परिषद्;

(ग) विद्या और गतिविधि परिषद्;

(घ) खेलकूद अध्ययन बोर्ड;

(ङ) वित्त समिति;

(च) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं।

18. सभा—(1) सभा का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) केंद्रीय सरकार को किसी ऐसे मामले की बाबत सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किया जाए; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

19. कार्य परिषद्—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

20. विद्या और गतिविधि परिषद्—(1) विद्या और गतिविधि परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के साथ समन्वय और उन पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी।

(2) विद्या और गतिविधि परिषद् का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे:

परंतु विद्या और गतिविधि परिषद् में ऐसे खिलाड़ी होंगे, जिन्होंने ओलंपिक या विश्व चैम्पियनशिप में विशिष्टताएं प्राप्त की हैं।

21. खेलकूद अध्ययन बोर्ड—खेलकूद अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियां और कृत्य, परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

22. वित्त समिति—वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

23. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण—ऐसे अन्य प्राधिकरणों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के रूप में घोषित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य, परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

24. परिनियम बनाने की शक्ति—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकरणों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी उपलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां और सेवा की शर्तें;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य निधि के उपबंध, सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(ट) विद्यापीठों, विभागों, केन्द्रों, छात्र-निवासों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना और समाप्ति;

(ठ) सम्मानिक डिग्रियों का प्रदान किया जाना:

(ड) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों का प्रदान किया जाना और उन्हें वापस लिया जाना;

(ढ) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और संचालित महाविद्यालयों, संस्थाओं, क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों का प्रबंध;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(त) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना; और

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जा सकें।

25. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे—(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम वे हैं, जो इस अधिनियम की अनुसूची में उपवर्णित हैं।

(2) कार्य परिषद् समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगी, उनका संशोधन नहीं करेगी या उनका निरसन नहीं करेगी जब तक उस प्राधिकरण को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाले परिनियमों को केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा और जब तक ऐसा अनुमोदन न कर दिया जाए, वे अविधिमान्य रहेंगे।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक बाद के तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु केंद्रीय सरकार, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, ऐसी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे विस्तृत परिनियम, जो वह आवश्यक समझे, बना सकेगी और ऐसे विस्तृत परिनियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगी और यदि कार्य परिषद् किसी ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो केंद्रीय सरकार, कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् यथोचित रूप से परिनियमों को बना सकेगी या उन्हें संशोधित कर सकेगी।

26. अध्यादेश बनाने की शक्ति—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम और उनकी अवधि;

(ग) शिक्षण और परीक्षा माध्यम;

(घ) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और अभिप्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, डिग्रियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष इंतजाम, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम विहित करना;

(ञ) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ट) विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और अन्य अभिकरणों के साथ, जिनके अंतर्गत विद्वत निकाय या संगम भी हैं, सहकार और सहयोग करने की रीति;

(ठ) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, संरचना और उसके कृत्य;

(ड) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ढ) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना; और

(ण) अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किया जाए ।

(2) प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति से कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित या निरसित किए जा सकेंगे ।

27. विनियम—विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त समितियों के, यदि कोई हों, कार्य संचालन के लिए जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं ।

28. वार्षिक रिपोर्ट—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें, अन्य विषयों के साथ-साथ, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे और वह सभा को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी ।

(2) सभा, अपनी टीका टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, यथाशीघ्र, वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

29. वार्षिक लेखे—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी संपरीक्षा की जाएगी ।

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट और कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों सहित, सभा और केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए कोई भी संप्रेक्षण सभा के ध्यान में लाए जाएंगे और सभा के संप्रेक्षण, यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(4) केंद्रीय सरकार, यथाशीघ्र, संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ वार्षिक लेखाओं की प्रति संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

30. विश्वविद्यालय की निधि—(1) एक विश्वविद्यालय निधि होगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे—

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई भी अंशदान या अनुदान;

(ख) राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई भी अशंदान या अनुदान;

(ग) सरकार, अर्द्ध-सरकारी या स्वायत निकायों द्वारा किया गया कोई भी अशंदान;

(घ) कोई भी ऋण, दान, वसीयत, संदान, विन्यास या अन्य अनुदान, यदि कोई हो;

(ङ) फीसों और प्रभारों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आय;

(च) सहयोगी उद्योगों से, विश्वविद्यालय के प्रायोजित पदों, अध्येतावृत्तियों या अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय और उद्योग के बीच हुए सहमति-पत्र के उपबंधों के निबंधनानुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धन; और

(छ) किसी अन्य स्रोत से किसी अन्य रीति से प्राप्त रकम ।

(2) विश्वविद्यालय की सभी निधियां, ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति में उनका विनिधान किया जाएगा, जो बोर्ड वित्त समिति की सिफारिशों पर विनिश्चित करे ।

(3) विश्वविद्यालय की निधियों का उपयोग, विश्वविद्यालय के खर्चों के लेखे, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय की शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन में उपगत खर्चे भी हैं, किया जाएगा ।

31. विवरणी और सूचना—विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सरकार को ऐसी अवधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी संपत्ति या क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे विवरण और अन्य सूचना देगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

32. कर्मचारी, इत्यादि की सेवा की शर्तें—(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति लिखित संविदा के अधीन की जाएगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी तथा उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा ।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचार का उपभोग करने से निवारित नहीं करेगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा ।

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी ।

33. छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया—(1) किसी परीक्षा का कोई छात्र या अभ्यर्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, वह ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा और कार्य परिषद्, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उद्भूत होने वाला कोई विवाद उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 32 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशक्य लागू होंगे ।

34. अपील करने का अधिकार—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या पोषित किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी क्षेत्रीय केंद्र या किसी अध्ययन केंद्र के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था या क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र के प्राचार्य के किसी विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तब कार्य परिषद् उस विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी ।

35. भविष्य निधि और पेंशन निधि—(1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य निधि या उसी प्रकार की अन्य निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां ऐसी भविष्य निधि या उसी प्रकार की अन्य निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो ।

36. प्राधिकरणों और निकायों के गठन के बारे में विवाद—यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला केंद्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

37. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, सुविधानसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस शेष अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता ।

38. प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं ।

39. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी ।

40. विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या जो विश्वविद्यालय के कब्जे में किसी अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि, कुलसचिव द्वारा प्रमाणित कर दी जाती है, तो उस दशा में, जिसमें उसकी मूल प्रति पेश किए जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी और उससे संबंधित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी ।

41. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश हुए, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह आदेश नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

42. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

43. संक्रमणकालीन उपबंध—इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम कुलपति, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जो उचित समझी जाएं और उक्त अधिकारी पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा;

(ग) प्रथम सभा और प्रथम कार्य परिषद् में क्रमश: इकतीस और ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे; और

(घ) प्रथम विद्या और गतिविधि परिषद् में इक्कीस से अनधिक सदस्य होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:

परन्तु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकरणों में कोई रिक्ति होती है तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति करके या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती तो, पद धारण करता ।

44. निरसन और व्यावृत्ति—(1) राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं० 5) को इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची

[धारा 25(1) देखिए]

विश्वविद्यालय के परिनियम

1. कुलाधिपति—(1) कुलाधिपति की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के नामों के पैनल में से केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह विस्तारित नया पैनल मंगा सकेगी।

(2) कुलाधिपति, खेलकूद के क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति होगा, जो या तो स्वयं एक खिलाड़ी या कोई खेलकूद प्रशासक या कोई खेलकूद अकादमीशियन होगा।

(3) कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु कुलाधिपति, पदावधि के अवसान होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक उसका उत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता।

2. कुलपति—(1) कुलपति की नियुक्ति खंड (2) के अधीन यथा गठित किसी समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार, पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह विस्तारित नया पैनल मंगा सकेगी।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में पांच व्यक्ति होंगे, जिनमें से तीन कार्य परिषद् द्वारा और दो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा केन्द्रीय सरकार का एक नामनिर्देशिती समिति का संयोजक होगा:

परन्तु समिति का कोई भी सदस्य, उस विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या पोषित किसी महाविद्यालय या संस्था या क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र का सदस्य या उस विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता है और वह अपना पदग्रहण नहीं कर लेता है:

परन्तु यह और कि केंद्रीय सरकार, कुलपति को उसकी पदावधि के अवसान के पश्चात् एक वर्ष की कुल अवधि से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पद पर बने रहने का निदेश दे सकेगी:

परन्तु यह भी कि जब कुलपति का पद, यथास्थिति, मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा या रुग्णता अथवा ऐसे अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तो कार्य परिषद् ज्येष्तम् संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, नए कुलपति की नियुक्ति तक या कुलपति द्वारा अपने कर्तव्यों को फिर से संभालने तक कुलपति के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(5) खंड (4) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, कुलपति द्वारा पद ग्रहण करने के पश्चात् किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा कुलपति को असमर्थता, कदाचार या कानूनी उपबंधों के अतिक्रमण के आधार पर पद से हटा सकेगी:

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो:

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, ऐसा आदेश करने से पहले किसी भी समय जांच लंबित रहने तक कुलपति को निलंबित कर सकेगी।

(6) (क) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे और वह अपनी पदावधि के दौरान बिना किराया दिए सुज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के अनुरक्षण की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा।

(ख) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं:

परन्तु जहां विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या पोषित या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था या क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है, वहां उसे ऐसी भविष्य निधि में, जिसका वह सदस्य है, अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और

विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा जिससे वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था:

परन्तु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा:

(ग) कुलपति ऐसी दरों से जो कार्य परिषद् द्वारा नियत की जाएं, यात्रा भत्ते का हकदार होगा ।

(घ) कुलपति किसी कलैंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी, पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दी जाएगी;

परन्तु यदि कुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या छोड़ता है तो अनुपातत: सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए अढ़ाई दिन की दर से छुट्टी को जमा किया जाएगा ।

(ङ) कुलपति उपखंड (घ) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्धवेतन छुट्टी का भी हकदार होगा और इस अर्धवेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा:

परन्तु जब ऐसी परिवर्तित छुट्टी का उपभोग किया जाता है तो अर्धवेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा बाकी अर्धवेतन छुट्टी से विकलित की जाएगी ।

3. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य—(1) कुलपति, कार्य परिषद्, विद्या और गतिवधि परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में डिग्रियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो ।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(4) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह किन्हीं ऐसी शक्तियों का किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी ।

4. विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष—(1) विद्यापीठ के प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपति द्वारा उस विद्यापीठ के आचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी:

परन्तु यदि विद्यापीठ में केवल एक आचार्य है या कोई आचार्य नहीं है तो तत्समय संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विद्यापीठ के आचार्य, यदि कोई हों और सह-आचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से की जाएगी:

परन्तु यह और कि संकायाध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेगा ।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष, रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो उसके कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, विद्यापीठ के ज्येष्ठतम् आचार्य या सह-आचार्य द्वारा किया जाएगा ।

(3) संकायाध्यक्ष, विद्यापीठ का प्रधान होगा और विद्यापीठ में अध्यापन और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, खेलकूद अध्ययन बोर्डों या विद्यापीठ की समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य नहीं है तब तक उसे उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

5. कुलसचिव—(1) कुलसचिव की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(3) कुलसचिव की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

(4) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब कुलसचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्ति करे।

(5) (क) कुलसचिव को, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को छोड़कर, ऐसे कर्मचारियों के, जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी, तथा जांच होने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की या वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी:

परन्तु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।

(ग) ऐसे मामलें में, जहां जांच से यह प्रकट हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां, कुलसचिव, जांच के पूरा होने पर, कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा:

परन्तु शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील, कार्य परिषद् को होगी।

(6) कुलसचिव, कार्य परिषद् और विद्या और गतिवधि परिषद् का पदेन सचिव होगा, किंतु वह इन प्राधिकरणों में से किसी का भी सदस्य नहीं समझा जाएगा और वह सभा का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(7) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो कार्य परिषद् उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे;

(ख) सभा, कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् और उन प्राधिकरणों द्वारा स्थापित किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएं निकाले;

(ग) सभा, कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् तथा उन प्राधिकरणों द्वारा स्थापित किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशन के कार्यवृत्त रखे;

(घ) सभा, कार्य परिषद् और विद्या और गतिविधि परिषद् के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे;

(ङ) केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के अधिवेशनों की कार्य-सूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं, दे और इन अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

6. वित्त अधिकारी—(1) वित्त अधिकारी इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा विहित की जाएं:

परंतु वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किंतु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(6) वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की निधि का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(7) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारण करेगा और उनका प्रबंध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और समस्त धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिसके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यायल के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने के लिए और उनको कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों की स्थिति पर तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा सभी कार्यालयों, विभागों, केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं के उपस्कर तथा अन्य उपयोज्य सामग्री के स्टाक की जांच की जाए:

(छ) अप्राधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा; और

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या पोषित किसी कार्यलय, विभाग, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय, संस्था, क्षेत्रीय केन्द्र या अध्ययन केन्द्र से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

(8) वित्त अधिकारी द्वारा या कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में दी गई कोई भी रसीद, उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी ।

7. परीक्षा नियंत्रक—(1) परीक्षा नियंत्रक, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(3) परीक्षा नियंत्रक की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु परीक्षा नियंत्रक बासठ की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

(4) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है या जब परीक्षा नियंत्रक, रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब ऐसे कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(5) परीक्षा नियंत्रक, अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं करवाएगा और उनका अधीक्षण करेगा ।

8. पुस्तकालयाध्यक्ष—(1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं ।

9. सभा का गठन और अधिवेशन—(1) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, जो तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, अर्थात्:—

(क) पदेन सदस्य:—

(i) कुलाधिपति;

(ii) कुलपति;

(iii) कुलानुशासक;

(iv) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष;

(v) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(vi) वित्त अधिकारी;

(vii) एक ज्येष्ठ वार्डन, चक्रानुक्रम से;

(viii) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष;

(ix) पूर्व छात्र संगम का अध्यक्ष;

(ख) अन्य सदस्य:—

(i) ऐसे विभागाध्यक्ष या आचार्य, जो विद्या और गतिविधि परिषद् के सदस्य हैं;

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्रत्येक संस्था से, संस्था के प्रमुख की सिफारिशों पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि;

(iii) ख्यातिप्राप्त खेलकूद वैज्ञानिकों, खेलकूद शिक्षाविदों और खेलकूद प्रशासकों में से चार से अनधिक सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(iv) खेलकूद उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले दो से अनधिक व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(v) ख्यातिप्राप्त खिलाडियों और उच्च मान्यताप्राप्त कोचों में से दस से अनधिक व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ग) कुलसचिव, जो पदेन सदस्य-सचिव होगा ।

(2) सभा का वार्षिक अधिवेशन, उस दशा के सिवाय जब किसी वर्ष के संबंध में सभा ने कोई अन्य तारीख नियत की हो, कार्य परिषद् द्वारा नियत की जाने वाली तारीख को होगा ।

(3) सभा के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्ववर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण, यथा संपरीक्षित तुलनपत्र और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलनों सहित, प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) खंड (3) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय का विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलनों की प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी ।

(5) सभा के विशेष अधिवेशन, कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा या यदि कोई कुलपति नहीं है तो कुलसचिव द्वारा, बुलाए जा सकेंगे ।

(6) सभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति सभा के ग्यारह सदस्यों से होगी ।

10. कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति—कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति कार्य परिषद् के सात सदस्यों से होगी ।

11. कार्य परिषद् का गठन, शक्तियां और कृत्य—(1) कार्य परिषद् में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्य होंगे, जो दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, अर्थात्:—

(क) पदेन सदस्य:—

(i) कुलपति;

(ii) कुलानुशासक;

(iii) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(iv) युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय का अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार;

(v) युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय का संयुक्त सचिव;

(vi) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष;

(ख) अन्य सदस्य:—

(i) तीन ज्येष्ठ आचार्य, चक्रानुक्रम से;

(ii) खेलकूद वैज्ञानिकों, खेलकूद प्रशासकों, ख्यातिप्राप्त खिलाड़ियों और प्रख्यात कोचों में से चार व्यक्ति ।

(2) कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय के राजस्व और सम्पत्ति के प्रबन्ध और प्रशासन की तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों के संचालन की, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, शक्ति होगी।

(3) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(i) अध्यापन और अन्य शैक्षणिक पदों, जिनके अंतर्गत पीठ आचार्य पद भी हैं, का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उनकी उपलब्धियां अवधारित करना और अचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को परिनिश्चित करना:

परन्तु शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या और अर्हता के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई कार्य परिषद् द्वारा विद्या और गतिविधि परिषद् की सिफारिश पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी;

(ii) उतने आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, जिसके अंतर्गत पीठ आचार्य पद भी हैं, जितने आवश्यक हों, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों का भरना;

(iii) विभिन्न विद्यापीठों, विभागों और केन्द्रों में अध्यापन कर्मचारिवृंद की संयुक्त नियुक्तियां करके अंतर्मुखी अनुसंधान का संवर्धन करना;

(iv) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उनके कर्तव्य तथा सेवा की शर्तें परिनिश्चित करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से उन पर नियुक्तियां करना;

(v) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक इंतजाम करना;

(vi) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;

(vii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जो वह ठीक समझे;

(viii) वित्त समिति की सिफारिश पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना;

(ix) विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी धन को, जिसके अंतर्गत अनुपयोजित आय है, समय-समय पर ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में विनिहित करना जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में विनिहित करना जिसमें ऐसे विनिधान में समय-समय पर परिवर्तन करने की शक्ति है;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;

(xi) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्रों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(xii) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और रद्द करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से, व्यथित अनुभव करें, किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xiv) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना तथा उनकी फीसें, उपलब्धियां और यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते, विद्या और गतिविधि परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् नियत करना;

(xv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के उपयोग की व्यवस्था करना;

(xvi) छात्राओं के निवास के लिए ऐसे विशेष इंतजाम करना, जो आवश्यक हों;

(xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना;

(xix) ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए उद्योगों और गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ भागीदारी करना तथा ऐसी भागीदारी से हुए लाभ से समग्र निधि की स्थापना करना; और

(xx) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम या इन परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

12. विद्या और गतिविधि परिषद् के सदस्य और उसके अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति—(1) विद्या और गतिविधि परिषद् के सदस्यों के अंतर्गत ऐसे खिलाड़ी होंगे, जिन्होंने ओलम्पिक या विश्व चैम्पियनशिप में विशिष्टता प्राप्त की है ।

(2) विद्या और गतिविधि परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति विद्या और गतिविधि परिषद् के नौ सदस्यों से होगी ।

13. विद्या और गतिविधि परिषद् की शक्तियां और कृत्य—इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्या और गतिविधि परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण के तरीकों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों में अध्यापन का समन्वय करने तथा अनुसंधान के मूल्यांकन और शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना;

(ख) अंतर्विद्यापीठ समन्वय स्थापित करना और बढ़ाना और ऐसी समितियों या बोर्डों की स्थापना या नियुक्ति करना, जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाएं;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी विद्यापीठ या कार्य परिषद् द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना;

(घ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और अध्ययनवृत्तियों के दिए जाने, फीस, रियायतों, सामूहिक जीवन और हाजिरी के संबंध में परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम विरचित करना ।

14. विद्यापीठ और विभाग—(1) विश्वविद्यालय में उतने विद्यापीठ होंगे, जितने परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) प्रत्येक विद्यापीठ का एक विद्यापीठ बोर्ड होगा और प्रथम विद्यापीठ बोर्ड के सदस्य, कार्य परिषद् द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(3) विद्यापीठ बोर्ड की संरचना, शक्तियां और उसके कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

(4) विद्यापीठ बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी ।

(5) (क) प्रत्येक विद्यापीठ में उतने विभाग होंगे जितने अध्यादेशों द्वारा उनमें रखे जाएं :

परन्तु कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् की सिफारिश पर, ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगी, जिनमें विश्वविद्यालयों के उतने शिक्षक लगाए जाएं, जितने कार्य परिषद् आवश्यक समझे ।

(ख) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) विभाग के शिक्षक;

(ii) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति;

(iii) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष;

(iv) विभाग से जुड़े मानद आचार्य, यदि कोई हों; और

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों ।

15. खेलकूद अध्ययन बोर्ड—(1) प्रत्येक विभाग में एक खेलकूद अध्ययन बोर्ड होगा ।

(2) खेलकूद अध्ययन बोर्ड और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी ।

(3) विद्या और गतिविधि परिषद् के पूर्ण नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहते हुए, खेलकूद अध्ययन बोर्ड के कृत्य विभिन्न डिग्रियों के लिए अनुसंधानार्थ विषयों और अनुसंधान डिग्रियों की अन्य अपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा संबद्ध विद्यापीठ बोर्ड को अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से, निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करना—

(क) अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों के लिए, जिसमें अनुसंधान डिग्रियां नहीं हैं, परीक्षकों की नियुक्ति;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; और

(ग) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय:

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पश्चात् तीन वर्ष के दौरान खेलकूद अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्यों का पालन विभाग द्वारा किया जाएगा ।

16. वित्त समिति—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) कुलपति;

(ii) सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(iii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक कार्य परिषद् का सदस्य होगा; और

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति ।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति वित्त समिति के पांच सदस्यों से होगी ।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य, उसके किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का अधिकार होगा ।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन बार होगा ।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की और उन मदों की, जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, कार्य परिषद् द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जाएगी ।

(7) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् अनुमोदन के लिए कार्य परिषद् को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होगी (जिनके अंतर्गत, उत्पादक कार्यों की दशा में, उधारों के आगम भी हो सकेंगे) ।

17. चयन समितियां—(1) आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और पोषित महाविद्यालयों, संस्थाओं, क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों के प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी ।

(2) नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में कुलपति, केंद्रीय सरकार का एक नामनिर्देशिती और उक्त सारणी के स्तंभ 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे:

सारणी

1	2
आचार्य	(i) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष ।
	(ii) विभागाध्यक्ष, यदि वह कोई आचार्य है ।
	(iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य संबद्ध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो ।
सह-आचार्य/सहायक आचार्य	(i) एक विभागाध्यक्ष ।
	(ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य ।
	(iii) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा उस विषय में जिससे सह-आचार्य/सहायक आचार्य संबद्ध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो ।
कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक	(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके दो सदस्य ।
	(ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो ।

पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) कार्य परिषद् नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, जिसे पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो। (ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य	तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिनमें से दो कार्य परिषद् द्वारा और एक विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा उनके ऐसे किसी विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिसमें उस महाविद्यालय या संस्था द्वारा शिक्षा दी जा रही हो।

टिप्पण 1—जब नियुक्ति अंतर-शाखा परियोजना के लिए की जा रही हो तब परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा।

टिप्पण 2—कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला आचार्य उस विशिष्ट विषय से संबद्ध आचार्य होगा जिसके लिए चयन किया जा रहा है और कुलपति, किसी आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष से परामर्श करेगा।

(3) कुलपति, चयन समिति के अधिवेशन बुलाएगा और उनकी अध्यक्षता करेगा:

परंतु चयन समिति का अधिवेशन केंद्रीय सरकार के नामनिर्देशित और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञों के पूर्व परामर्श के पश्चात् और उनकी सुविधा के अनुसार नियत किया जाएगा:

परंतु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तब तक विधिमान्य नहीं होंगी, जब तक—

(क) जहां केंद्रीय सरकार के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार है, वहां उनमें से कम से कम तीन अधिवेशन में हाजिर न हों; और

(ख) जहां केंद्रीय सरकार के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है, वहां उनमें से कम से कम दो अधिवेशन में हाजिर न हों।

(4) चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी।

(5) यदि कार्य परिषद्, चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए केंद्रीय सरकार को भेजेगी।

(6) (क) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति से की जाएंगी—

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए हो तो उसे पूर्वगामी खंडों में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरा जाएगा:

परंतु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि काम के हित में रिक्ति का भरा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति की सलाह से केवल अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक की अवधि के लिए की जा सकेगी;

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति, जिसमें संबद्ध विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा, की सिफारिश पर की जाएगी:

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे:

परंतु यह और कि अध्यापन पदों में मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारण से कारित अचानक आकस्मिक रिक्ति की दशा में, संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा।

(ख) यदि परिनियमों के अधीन अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए किसी शिक्षक की सिफारिश, नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो वह तब तक ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में नहीं बना रहेगा जब तक कि, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा तत्पश्चात् उसका चयन नहीं कर लिया जाता।

18. नियुक्ति का विशेष ढंग—(1) परिनियम 17 में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद्, विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में, यथास्थिति, आचार्य या

सह-आचार्य का पद अथवा कोई अन्य शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर वह उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगी:

परंतु कार्य परिषद् ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अधिसंख्य पदों का सृजन भी कर सकेगी:

परंतु यह और कि इस प्रकार सृजित अधिसंख्य पदों की संख्या विश्वविद्यालय में कुल पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) कार्य परिषद्, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारी को नियुक्त कर सकेगी।

19. नियत अवधि के लिए नियुक्ति—कार्य परिषद्, परिनियम 17 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को एक नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

20. समितियां—(1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण, उतनी स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो उस प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं।

(2) खंड (1) के अधीन नियुक्त समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए, किन्तु वह नियुक्त करने वाले प्राधिकरण द्वारा बाद में पुष्टि के अधीन होगी।

21. शिक्षकों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता, आदि—(1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्यों की उपलब्धियां वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्ररूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(4) खंड (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी।

22. अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता—(1) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उपलब्धियां वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

23. ज्येष्ठता सूची—(1) जब कभी, इन परिनियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकरण का सदस्य होना है, तो उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसके ग्रेड में लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धान्तों के अनुसार होगा, जो कार्य परिषद् समय-समय पर, विहित करे।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि जिन व्यक्तियों को इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अद्यतन ज्येष्ठता सूची खंड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट ग्रेड में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव, स्वप्रेरणा से वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध करता है तो वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

24. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हटाया जाना—(1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो वहां शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और कार्य परिषद् को उन परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा जिनमें वह आदेश किया गया था:

परंतु यदि कार्य परिषद् की यह राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय किया गया हो, अन्यथा नहीं ।

(4) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(5) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको हटाए जाने का आदेश किया जाता है:

परंतु जहां कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह निलंबित किया गया था ।

(6) परिनियमों के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी,—

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात् पद त्याग सकेगा:

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास के वेतन के संदाय के पश्चात् पद त्याग सकेगा:

परंतु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है ।

25. सम्मानिक डिग्रियां—(1) कार्य परिषद् विद्या और गतिविधि परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा केन्द्रीय सरकार से सम्मानिक डिग्रियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगी:

परंतु आपात की दशा में, कार्य परिषद्, स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी ।

(2) कार्य परिषद् उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी सम्मानिक डिग्री को वापस ले सकेगी ।

26. डिग्रियों, आदि का वापस लिया जाना—कार्य परिषद् उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-निहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई डिग्री या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी:

परंतु इस आशय का कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की लिखित सूचना न दे दी जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाना चाहिए और जब तक कार्य परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार नहीं कर लिया जाता है ।

27. विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना—(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन बनाए रखने और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी ।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने में कुलपति की सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय का एक कुलानुशासक होगा जिसकी नियुक्ति अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में, आचार्यों और सह-आचार्यों में से कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी ।

(3) कुलपति खंड (1) में निर्दिष्ट सभी शक्तियां या उनमे से कोई, जो वह ठीक समझे, कुलानुशासक और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(4) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने की तथा ऐसी कार्रवाई करने की, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र या विभाग या विद्यापीठ में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे उतने जुर्माने का दंड दिया जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है अथवा उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र या विभाग या किसी विद्यापीठ द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का, जिसमें वह या वे सम्मिलित हुआ है या हुए हैं, परीक्षाफल रोक दिया जाए या रद्द कर दिया जाए ।

(5) महाविद्यालय, संस्थाओं के प्राचार्यों, विद्यापीठों के संकायाध्यक्षों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें जो उन महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विभागों में अध्यापन के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों ।

(6) कुलपति तथा प्राचार्यों और खंड (5) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे और महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्य, विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम भी बना सकेंगे जो उसमें कथित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे ।

(7) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है ।

28. दीक्षांत समारोह—डिग्रियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह ऐसी रीति में आयोजित किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

29. अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष—जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जिस अध्यक्ष के लिए इस प्रकार का उपबंध किया गया है वह अनुपस्थित है, तो उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित कर लेंगे ।

30. त्यागपत्र—सभा, कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और ऐसा पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही पदत्याग प्रभावी हो जाएगा ।

31. निरर्हता—(1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य चुने जाने और सदस्य बने रहने या विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी नियुक्त किए जाने या बने रहने के लिए निर्रहित होगा, यदि—

(i) वह विकृत्तचित है;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबात छह मास से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो वह प्रश्न विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी ।

32. सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्तें—परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकण का कोई सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा ।

33. अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकरणों की सदस्यता—परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का किसी विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय के सदस्य की अपनी हैसियत में सदस्य है या कोई विशिष्ट नियुक्ति धारित करता है, ऐसा पद केवल तब तक धारण करेगा या सदस्य तब तक ही बना रहेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य बना रहता है या उस विशिष्ट नियुक्ति को धारित करता रहता है ।

34. पूर्वछात्र संगम—(1) विश्वविद्यालय का एक पूर्वछात्र संगम होगा ।

(2) पूर्वछात्र संगम की सदस्यता का अभिदाय अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा ।

(3) पूर्वछात्र संगम का कोई भी सदस्य तब तक मत देने का या निर्वाचन में खड़े होने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह निर्वाचन तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले से संघ का सदस्य नहीं हो और विश्वविद्यालय की कम से कम पांच वर्ष की अवधि की डिग्री का धारक न हो:

परंतु पहले निर्वाचन की दशा में एक वर्ष की सदस्यता अवधि पूरी किए जाने की शर्त लागू नहीं होगी ।

35. छात्र परिषद्—(1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए विश्ववद्यालय में एक छात्र परिषद् गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(i) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, जो कि छात्र परिषद् के अध्यक्ष होंगे;

(ii) बीस छात्र, जो अध्ययन, खेलकूद गतिविधियों और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में योग्यता के आधार पर विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(iii) बीस छात्र, जो छात्रों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित किए जाएंगे:

परंतु विश्वविद्यालय के किसी छात्र को यदि अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात किया जाए, तो छात्र परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय से संबंधित कोई मामला लाने का अधिकार होगा और जब किसी बैठक में उस मामले पर विचार किया जाए तो उसे विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा ।

(2) छात्र परिषद् के ये कृत्य होंगे कि वह विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकरणों को अध्ययन के कार्यक्रमों, छात्र कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सामान्यतया विश्वविद्यालय के कार्य करने की बाबत सुझाव दे और ऐसे सुझाव मतैक्यता के आधार पर दिए जाएंगे ।

(3) छात्र परिषद्, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार अधिवेशन करेगी और परिषद् का पहला अधिवेशन शैक्षणिक सत्र के आरंभ में आयोजित किया जाएगा ।

36. अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे—(1) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन बनाए प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा अनुगामी उपखंडों में विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय, संशोधित या निरसित किए जा सकेंगे ।

(2) इस अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में प्रगणित मामलों के संबंध में कार्य परिषद् द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेशों का प्रारूप विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो ।

(3) कार्य परिषद् को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे किंतु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या विद्या और गतिविधि परिषद् के पुनर्विचार के लिए उस संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को उन किन्हीं संशोधनों सहित जिनका सुझाव कार्य परिषद् दे, वापस भेज सकेगी ।

(4) जहां कार्य परिषद् ने विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है, वहां विद्या और गतिविधि परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में, जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और विद्या और गतिविधि परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुन: अभिपुष्ट कर दिया जाता है, तब प्रारूप कार्य परिषद् को वापस भेजा जा सकेगा, जो या तो उसे मान लेगी या उसे केंद्रीय सरकार को निर्देशित कर देगी, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(5) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरन्त प्रभावी होगा ।

(6) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(7) केंद्रीय सरकार को, विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह किसी अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित कर दे ।

(8) केंद्रीय सरकार, कार्य परिषद् को खंड (7) में निर्दिष्ट अध्यादेशों पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगी और विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात् वह या तो अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले सकेगी या अध्यादेश को नामंजूर कर सकेगी और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

37. विनियम—(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम निम्नलिखित विषयों के बारे में बना सकेंगे, अर्थात्:—

(i) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करना और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना जिनका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है; और

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों के लिए उपबंध करना, जो केवल ऐसे प्राधिकरणों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा ।

(3) कार्य परिषद्, इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकेगी ।

38. शक्तियों का प्रत्यायोजन—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकरण अपनी कोई शक्ति, अपने या उसके नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण में निहित बना रहेगा।